संख्या-44/2023/3226/22-2-2022-17(1313)/2022

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकरम पुत्र मु0 फारूख, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29945/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-04.08.2022) दिनांक-20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकरम पुत्र मु0 फारूख, ग्राम- 283/234 हरचन्दपुर, गढ़ीकनौरा, थाना-आलमबाग, जनपद लखनऊ का निवासी है। रू0 पांच लाख् रियाल की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 21-09-2000 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 06 वर्षीय पुत्र मो0 नवील का अपहरण कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-121/2001 में भा0द0वि0 की धारा-364 क, 302 सपठित 120बी0, 201, 120 बी तथा के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(न्या0 सं0-4), लखनऊ के आदेश दिनांक 08-11-2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2022 तक 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल से रिहा होने पर समाज में भय व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रू0 पांच लाख रियाल की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 21.09.2000 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 06 वर्षीय पुत्र मा0 नवील का अपहरण कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अकरम पुत्र मु0 फारूख को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकरम (बन्दी संख्या-44846) पुत्र मु0 फारूख, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-44/2023/3226(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-44/2023/3226/22-2-2022-17(1313)/2022

दिनांक 21 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकरम पुत्र मु0 फारूख, ग्राम- 283/234 हरचन्दपुर, गढ़ीकनौरा, थाना-आलमबाग, जनपद लखनऊ का निवासी है। रू0 पांच लाख् रियाल की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 21-09-2000 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 06 वर्षीय पुत्र मो0 नवील का अपहरण कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-121/2001 में भा0द0वि0 की धारा-364 क, 302 सपठित 120बी0, 201, 120 बी तथा के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(न्या0 सं0-4), लखनऊ के आदेश दिनांक 08-11-2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2022 तक 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल से रिहा होने पर समाज में भय व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रू0 पांच लाख रियाल की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 21.09.2000 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 06 वर्षीय पुत्र मा0 नवील का अपहरण कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अकरम पुत्र मु0 फारूख को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।